संख्या: 1250/79-6-2011

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6)अनुभाग लखनऊ दिनाँक 16 अगस्त, 2011

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्रामपंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः **978/79-6-2011-1(6)2000टी0सी0vii दिनांक 06 जुलाई, 2011 (छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्रामपंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन हेतु निर्देशित किया गया है। अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा योजना के संचालन हेतु वर्ष 2011-12 में दिये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में गत वर्ष के अवशेष खाद्यान्न की मात्रा को समायोजित करते हुए तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास 2011-12 हेतु खाद्यान्न का आवंटन जारी किया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश स्तर से तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास 2011-12 हेतु जनपदों को खाद्यान्न आवंटित करते समय सम्बन्धित जनपदों में दिनांक 01.04.2011 को उपलब्ध खाद्यान्न की प्रारंभिक अवशेष की मात्रा का समायोजन किया जायेगा।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत ग्रामपंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करा लें, अन्यथा खाद्यान्न/परिवर्तन लागत की वह मात्रा जो पूर्व कार्यदायी संस्थाओं यथा- ग्रामपंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के पास अवशेष रह जायेगी, वह मात्रा योजना के सुचारू संचालन हेतु आपके जनपद में वर्तमान कार्यदायी संस्थाओं के पास अनुपलब्ध रहेगी, जिससे आपके जनपद में योजना का संचालन प्रभावित होगा एवं इसका उत्तरदायित्व जनपद का ही होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्रामपंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 30.08.2011 तक सम्पादित कराते हुए मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

16/8/11

(अनिल संत)
सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

16/8/11

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव

शासन-107 पताका-क

MDM

संख्याः 978 / 79–6–2011–1(6)2000टीसीvii

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2011

विषयः योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत / वार्ड / एन0जी0ओ0 के स्तर पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का समायोजन ।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–149 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0–3 दिनांक 25–6–04 एवं संख्या–1646 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0–3 दिनांक 23–07–04 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु आदेश निर्गत किए गये हैं । वित्तीय वर्ष 2008–09 से योजना का विस्तारीकरण प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी किया गया है।

2– जनपद स्तर पर योजना संचालन हेतु जिलाधिकारी, की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया गया है :–

1–मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
3–जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4–जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
5–जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
6–मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7–समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8–जिला विकास अधिकारी	सदस्य
9–परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य
10–जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11–जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
12–संबंधित नगर आयुक्त / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
13–भारतीय खाद्य निगम / उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी	सदस्य

3– योजना संचालन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को सचिव, बेसिक शिक्षा के अर्द्धशा0प0सं0–03 / 2004–05 दिनांक 01–12–04 द्वारा नोडल अधिकारी बनाया गया है। योजना के नोडल अधिकारी होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के समस्त अधिकार नोडल अधिकारी के पास उपलब्ध है, ताकि योजना का सुगम संचालन जनपद स्तर पर किया जा सके ।

4– योजनान्तर्गत भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने हेतु खाद्यान्न (गेहूँ / चावल) तथा परिवर्तन लागत (मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने हेतु दी जाने वाली

System Analyst
send to all concerned by email.
07/07/11

7.7.11

mdm v

धनराशि) विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गये खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का लेखा-जोखा रखे जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-13242-312/2007-08 दिनांक 06-11-07 द्वारा मध्यान्ह भोजन पंजिका रखे जाने की व्यवस्था की गयी । उक्त पंजिका में विद्यालय स्तर पर योजना से प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या तथा वितरित होने वाले मध्यान्ह भोजन का विवरण अंकित किया जाता है । मध्यान्ह भोजन पंजिका में अंकित विवरण के आधार पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग प्राप्त होता है इसके आधार पर जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय हेतु उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का उपभोग एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात होती है ।

5- अतः योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड/एन0जी0ओ0 के स्तर पर बिन्दु संख्या-4 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर गत वर्षो के अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सम्बन्ध में संसबंधित कार्यदायी संस्था को अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन किए जाने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नोटिस देगा तथा नोटिस में यह भी उल्लिखित किया जायेगा कि इस संबंध में यदि संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पक्ष में कोई तथ्य प्रस्तुत करना है तो एक सप्ताह में अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करें । यदि उक्त समयावधि में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित रूप से साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवशेष खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की वसूली संबंधित कार्यदायी संस्था से भू-राजस्व के बकाये की भांति किये जाने हेतु स्पष्ट मांग-पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावानुसार विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही बाधित होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के कम में आवश्यकतानुसार वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाए की भांति सम्पादित की जायेगी, ताकि अभीष्ट समायोजन किया जा सके और योजना का कियान्वयन सुगम हो सके ।

भवदीय,

/

अनिल संत
सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा),उ0प्र0 ।
5- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण दुबे)
विशेष सचिव।

mdm v